Over 1L people get their dues for govt schemes in Simdega

Times News Network

Simdega: A legal awareness-cum-empowerment camp held here on Sunday by the Jharkhand State Legal Services Authority (Jhalsa) enabled the government to distribute its schemes and benefits worth Rs 53.54 crore to over 1.05 lakh people in the district.

The initiative was taken after it was learnt that a lot of beneficiaries are yet to receive their dues under several schemes of pensions, scholarships and others.

The fund would have been surrendered by the government at the end of the fiscal in March had Jhalsa and the district administration not worked hard in the last one-and-half month to identify eligible beneficiaries and deliver it to them at the camp. A large number of people, mainly villagers, were also educated about various laws related to witch-hunting, marriages and police at the function.

TOI

Chief justice of Jharkhand high court Ravi Ranjan presents a cheque to a beneficiary in Ranchi on Sunday

Addressing the gathe-

jan of Jharkhand high court said, "The judiciary has started legal awareness and empowerment camps to ensure justice and access to welfare schemes to the last person of society."

He urged the people to go back and spread awareness about the camp in their villages. He also said under directives of the National Legal Services Authority, the judiciary has prepared a large team of para-legal volunteers who are enabling justice to the poor and weaker people.

"The preamble has envisaged social, economic and political justice for every citizen. Political justice is not possible without social and economic justice," he added.

Jhalsa executive chairman Justice H C Mishra said more than one lakh people were provided assets during the empowerment camp. "The beneficiaries were searched and enlisted from far-flung areas of the district," he said.

Justice Anubha Rawat Choudhary said the aim of the function was to provide the people their right. She said, "Justice protects those who protects oneself."

The event also saw staging of plays against witch hunting and a video related to human trafficking. People thronged the stalls set up by Jhalsa and the administration. Several judicial officers, including Jhalsa secretary A K Rai, secretary (high court legal service authority) Santosh Kumar, principal and district judge (Simdega) Kumar Kamal and ADJ-I Madhuresh Verma were present on the occasion.

नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है : मुख्य न्यायाधीश

सिमडेगा में रविवार को लीगल इंपावरमेंट कैंप में एक छात्रा को साइकिल प्रदान करते झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. रवि रंजन (बाएं से दूसरे) • जागरण

मनोज कुमार सिंह • सिमडेगा

विधिक सशक्तीकरण शिविर

- सिमडेगा में 53 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति का हुआ वितरण
- मुख्य न्यायाधीश ने आदिवासी संस्कृति को बताया अनमोल

झारखंड के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. रविरंजन ने कहा कि आदिवासी देश के लिए अनमोल धरोहर हैं। उनकी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करके ही उनका समुचित विकास किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सिमडेगा के अलबर्ट एक्का स्टेडियम में रविवार को आयोजित 7वीं राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान न सिर्फ सबसे बड़ा है, बल्कि यह सबसे अच्छा भी है, जिसमें अधिकार, कर्तव्य व लोगों की आकांक्षाएं व उम्मीदें निहित हैं। संविधान का मूल मंत्र ही न्याय है और न्याय का मतलब लोगों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से है। न्याय सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि परिवार, समाज व सरकार के लिए भी कार्य-दायित्व निर्धारित किए गए हैं। समाज के वंचित लोगों को लोगों को उनका हक-अधिकार मिले, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसके माध्यम से एक लाख लाभुकों के बीच 53 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। झालसा एवं नालसा ने सरकार के साथ मिलकर इसे आयोजित किया है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 32 में यह वर्णित है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय सभी के पास पहुंचे इसके लिए पहल की जा रही है। यह भी कहा कि अभी संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, 'क्योंकि इम्तिहान और बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है।'

JHALSA's empowerment camp provides govt benefits to over one lakh people

Assets worth Rs 53.54 crore distributed

SANJAY SAHAY

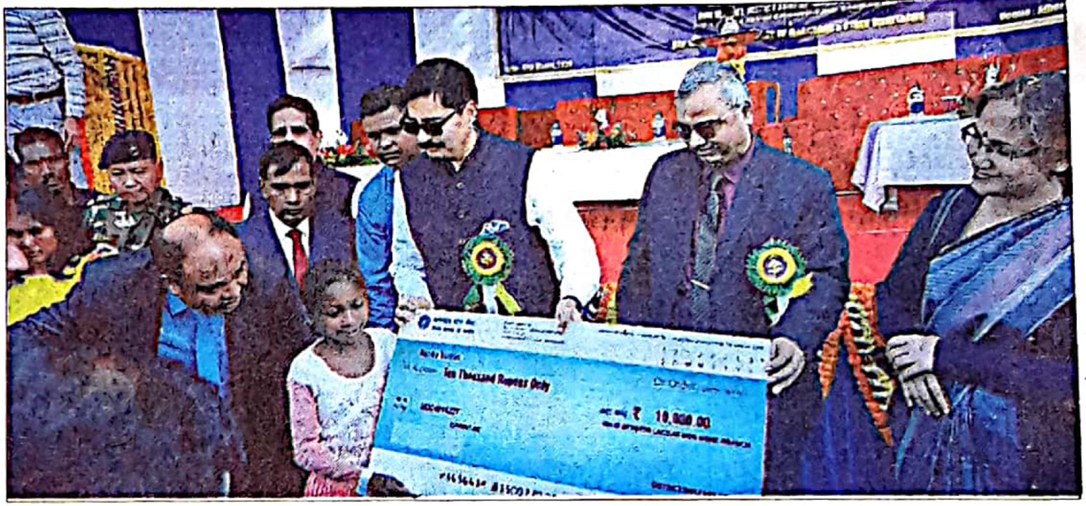

RANCHI: Over 1.05 lakh people were provided assets worth Rs 53.54 crore in legal awareness cum empowerment camp held at Elbert Ekka ground in Simdega on Sunday. The function was held under the auspices of Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) and state government.

Chief Justice of Jharkhand High Dr Ravi Ranjan, justice HC Mishra and justice Anubha Rawat Choudhary, JHALSA secretary AK Rai, secretary High Court legal service authority Santosh Kumar, principal and district judge Simdega Kumar Kamal and ADJ-I Madhuresh Verma were present in the venue.

Speaking on the occasion chief justice of Jharkhand High Court Dr Ravi Ranjan said, "The constitution has given us a host of rights and duties for the people. The Preamble envisages social, political and economic justice for people However all three are interrelated and political justice is not achievable without social and economic justice.

He said that the directive principles of state policies promises justice for all but many of the government schemes are not percolating down to every citizen of the state. He added this is why judiciary has intervened and started holding empowerment camps to ensure that the last person of the society gets the benefits.

He said that the people should go back and educate their acquaintances about the welfare schemes. He stated para-legal volunteers trained by JHALSA were also who are enabling justice to poor and weaker people of the society.

Executive chairman of JHALSA Justice HC Mishra said the gathering of a large number of people to get their rightful benefits seemed like a festival. He added it was a romance of the judiciary with the people deprived of their rights. He said the success of the judiciary lies in ensuring justice to the people. He said that more than one lakh people were provided assets worth Rs 53,45, 34000 . He added the beneficiaries were identified after one and a half month search.

Justice Anubha Rawat Choudhary stated that the function is merely providing the people what is was due to them. Justice Chowdhary who is also the zonal judge of this region said that the DLSA Simdega and district administration have worked for weeks to ensure success of the programme.

Several plays on social issues like against witch branding and trafficking were staged on the show. A large number of stalls belonging to various government departments were also put up at venue.

सिमडेगा-गुमला भास्कर

रांची, सोमवार 02 मार्च, 2020 | बानो • कोलेबिरा • केरसई | ठेठईटांगर • बोलबा | dainikbhaskar.com

आयोजन • राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में 53 करोड़ की परिसंपत्तियां बांटी गई, चीफ जस्टिस डॉ. रवि बोले

आदिवासी भाई-बहन हमारे अमूल्य धरोहर संस्कृति की रक्षा के साथ करेंगे विकास

भास्कर न्यूज | सिमडेगा

अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने कहा कि यहां के आदिवासी भाई-बहन हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। इनकी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करते हुए विकास करना है। न्यायिक व्यवस्था ने समाज के हर व्यक्ति को उसका हक और अधिकार देने का काम भी अपने कंधों पर लिया है। इसे सरकार के सहयोग से आप तक पहुंचाया जाएगा। कबीर की पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने सारा आसमान बाकी है। कहा कि विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान भारतीय संविधान के बदौलत ही आज देश के आम नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने की पहल की जा रही है। सिमडेगा जिले में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली।

कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी संस्कृति की पहचान दी। झालसा एवं नालसा सरकार के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने की पहल कर रही है। आज सिमडेगा में लगभग एक लाख लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। 53 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपए से अधिक राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार मिले इसकी पहल न्यायिक व्यवस्था द्वारा सरकार के सहयोग से करने की पहल की जा रही है। आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम को और विस्तृत रूप दिया जाएगा ताकि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके।

उपायुक्त सिमडेगा [illegible] कुमार कश्यप एवं एसपी संजीव कुमार सहित इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में शामिल पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आभार प्रकट की। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम स्थल में आम-जन के लिए स्टॉल लगाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सहित दोनों न्यायमूर्तियों ने एक बार सभी स्टॉल तक जाकर संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली।

लाभुकों को बांटी गई 53 करोड़ की परिसंपत्तियां, गर्भवती महिलाओं की गोदभराई

कार्यक्रम में अतिथियों ने लाभुकों के बीच 53 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपए से अधिक राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं गर्भवती महिलाओं के बीच न्यायमूर्ति झारखंड हाई कोर्ट अनुभा रावत चौधरी द्वारा गोद भराई की रस्म की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास, कन्यादान योजना, साईकिल वितरण, सिलिंडर कनेक्शन, मोटर कुदाल, मत्स्य आवास योजना, बीज वितरण, ऋण आदि का वितरण किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल आगमन पर पारंपरिक रीति से अतिथियों का स्वागत किया गया।

लाभुक को योजना का लाभ देते अतिथि।

चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों ने की रामरेखा धाम में पूजा, केलाघाघ में बोटिंग का आनंद

इससे पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश एचसी मिश्रा, न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी, राजीव शर्मा सहित अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय ने रामरेखा धाम पहुंच पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के पंडितों और सदस्यों ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की वनवास काल में आगमन के बारे में बताया। प्राकृतिक की गोद में जंगलों एवं पहाड़ों के चोटी में स्थित रामरेखा धाम की अलौकिक दृश्य अतिथियों को भाया तथा अतिथियों ने प्रशंसा भी की। मुख्य कार्यक्रम के बाद अतिथियों ने शहर के गोद में बसा केलाघाघ पर्यटन स्थल पहुंचे। जहां उन्होंने केलाघाघ में लहराते जलाशय में बोटिंग का आनंद लिया।

कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते कलाकार।

महोत्सव का रूप ले रहा विधिक सेवा प्राधिकार का आयोजन : जस्टिस मिश्रा

न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम महोत्सव का रूप ले चुका है। सिमडेगा जिलावासियों की भारी संख्या में उपस्थिति यह बयां करती है। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े पीएलवी के सहयोग से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उनका हक देने के लिए कोशिश हुई है। यदि यह प्रयास नहीं होता तो भारत के नक्शे में विकास के लिए आई बहुत बड़ी राशि लैप्स हो सकती थी। सरकार की लाभकारी, कल्याणकारी एवं विकासकारी योजनाओं का लाभ जिला के अंतिम योग्य व्यक्ति को मिले तथा वे अपने हक को जानें। कहा कि यह दया नहीं बल्कि उनका अधिकार है। आज लाभुकों को उनका अधिकार दिया जा रहा है। कार्यक्रम में डीडीसी दिनेश सिंह, एडीजे मनोज कुमार शर्मा, सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी मौजूद थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते सीजे।

गोद भराई की रस्म अदा करती जस्टिस।

न्याय एक नैसर्गिक भावना है

न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि न्याय अपनी रक्षा करने वालों की रक्षा करता है। न्याय एक नैसर्गिक भावना है। सिमडेगा में इस आयोजन से सभी स्वप्न साकार हो रहा है। यह सशक्तिकरण शिविर न्याय की रक्षा के लिए है। संविधान के तहत आपके जो हक है वो सभी हक आप लोगों को मिले। उन्होंने उपस्थित आम-जन से कहा कि आप सभी इस तरह के कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि अन्य लोग इससे जुड़े एवं उन्हें उनके हक मुहैया कराया जा सके।

दिव्यांगों ने किया उद्घाटन

अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सशक्तिकरण कार्यक्रम में प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों, दिव्यांग भाई बहनों व विभिन्न योजनाओं के पीड़ितों को मंच पर बुलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन कराया। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। नाटक में पुलिस द्वारा आरोपी की पिटाई के दृश्य पर चीफ जस्टिस ने माइक लेकर चुटकी ली और कहा कि पुलिस की [illegible] पिटाई का दृश्य आज देखने को मिला। कार्यक्रम में प्रधान जज कुमार कमल, एसपी आदि मौजूद थे।

रामरेखा धाम में की पूजा-अर्चना

बांस का बना मुकुट पहनाया

केलाघाघ में नौका विहार का आनंद

कार्यक्रम में उपस्थित जनता

रांची एक्सप्रेस
रांची, सोमवार, 02 मार्च, 2020
गुमला/लोहरदगा/सिमडेगा एक्सप्रेस

भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान : चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस को बुके देते प्रधान जिला जज

चीफ जस्टिस का स्वागत करते नृत्य दल

उपस्थित लोग

सिमडेगा : स्थानीय परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय विधिक सहायता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एससी मिश्रा और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन चीफ जस्टिस रवि रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व चीफ जस्टिस व अन्य अतिथियों को नृत्य मंडली द्वारा गीत व नृत्य के माध्यम से लाया गया। जहां महिला मंडल द्वारा पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस रवि रंजन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान संविधान है।संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बातें हैं। हमारा संविधान सभी को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाता है ।साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने झारखंड की संस्कृति पर चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासी अमूल्य है तथा यहां के धरोहर हैं। इन्हें अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं लेकर आती है । किंतु उक्त योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। इसे देखते हुए न्यायिक व्यवस्था ने यह काम अपने कंधे पर लिया है ।लोगों को योजनाओं की जानकारी देना एवं लाभ दिलाने का काम हमारा है। चीफ जस्टिस रंजन ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीएलवी तैयार किए गए हैं। उनके माध्यम से लोगों को मदद करने का काम किया जा रहा है लोक अदालत की भी शुरूआत की गई है इसके माध्यम से लोगों को सरल तरीके से न्याय मिल रहा है। स्वागत भाषण प्रधान जिला जज कुमार कमल ने किया। कार्यक्रम का संचालन संतोष अकेला ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एस पी संजीव कुमार, डी डी सी दिनेश कुमार सिंह, एडीजे मधुरेश कुमार वर्मा, सी जे एम आनंदमणि त्रिपाठी, एस डी जे एम आलोक कुमार, एसी अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, पीपी महेंद्र सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू के अलावा काफी संख्या में लाभुक उपस्थित थे।

4G VoLTE 05:44 89%
Lohardagga N...
epaper.jagran.com

नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है

विधिक शिविर में शामिल हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन, 53 करोड़ की परिसंपत्तियों का हुआ वितरण

जासं, सिमडेगा: झारखंड के मुख्य न्यायाधीश डॉ.रविरंजन ने कहा कि आदिवासी देश के लिए अनमोल धरोहर हैं। उनकी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करके ही उनका समुचित विकास किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सिमडेगा के अलबर्ट एक्का स्टेडियम में रविवार को आयोजित 7वें राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आदिवासी बहुल सिमडेगा की प्रशंसा में राष्ट्रकवि दिनकर की कविता की पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहा कि वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं।

कहा कि भारत का संविधान न सिर्फ सबसे बड़ा है, बल्कि यह सबसे अच्छा भी है, जिसमें अधिकार, कर्तव्य व लोगों की आकांक्षाएं व उम्मीदें निहित हैं। संविधान का मूल मंत्र ही न्याय है और न्याय का मतलब लोगों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से है। न्याय सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, समाज व सरकार के लिए भी कार्य-दायित्व निर्धारित किए गए हैं। समाज के वंचित लोगों को लाभों का उनका हक-अधिकार मिले, इसी उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसके माध्यम से 53 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। झालसा एवं नालसा सरकार के साथ मिलकर इसे आयोजित किया है। कहा कि संविधान में अनुच्छेद 32 में यह वर्णित है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकता है। इसके लिए लिए ग्रामीण स्तर पर पारा लीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय सभी के पास पहुंचे इसके लिए पहल की जा रही है। कहा कि अभी संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इम्तिहान और बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है।

53 करोड़ की परिसंपत्ति बांटी : अतिथियों ने विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को योग्य व सक्षम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। अतिथियों द्वारा योग्य लाभुकों के बीच 53 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपये से अधिक राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं गर्भवती महिलाओं के बीच न्यायमूर्ति झारखंड हाई कोर्ट अनुभा रावत चौधरी द्वारा गोद भराई का रस्म किया गया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सिमडेगा तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रूप से नृत्य एवं संगीत के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला जज कुमार कमल, एडीजे मधुरेश कुमार वर्मा, सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उपविकास आयुक्त दिलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी कुंवर सिंह पाहन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रेणु बाला सहित जिले के पदाधिकारी, कर्मी सहित काफी संख्या में सुदूर क्षेत्रों से आए ग्रामीण भी उपस्थित थे।

लाभुकों के साथ न्यायमूर्ति व पदाधिकारी • जागरण

महोत्सव का रूप ले चुका है कार्यक्रम : एचसी मिश्रा

न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम एक महोत्सव का रूप ले चुका है, सिमडेगा जिलावासियों की भारी संख्या में उपस्थिति यह बयां करती है। आज 53 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपये से अधिक राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। सरकार की लाभकारी, कल्याणकारी एवं विकासकारी योजनाओं का लाभ जिला के अंतिम योग्य व्यक्ति को मिले तथा वे अपने हक को जानें।

बीरूगेरूवा धाम में महंत उमाकांत जी से मिलते मुख्य न्यायाधीश डॉ.रविरंजन • जागरण

गोदभराई की रस्म अदा करती न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी • जागरण

न्याय एक नैसर्गिक भावना : न्यायमूर्ति अनुभा

हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि न्याय एक नैसर्गिक भावना है, जो सर्वत्र विद्यमान है। कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः। यह विधिक न्याय की रक्षा के लिए है। रोटी, कपड़ा व मकान लोगों की मूल जरूरत है। अंत्योदय का विकास जरूरी है।

गरीबों को अधिकार दिला रही न्यायपालिका

मनोज कुमार सिंह • सिमडेगा

राज्य का सबसे गरीब जिला है सिमडेगा। 90 फीसदी आदिवासी आबादी वाले इस जिले में झारखंड हाई कोर्ट को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन की मानें तो अब न्यायपालिका का काम सिर्फ न्याय देने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोगों को उनके अधिकारों व हक दिलाने का जिम्मा भी न्यायपालिका ने अपने कंधों पर ले लिया है।

इसका नजारा रविवार को सिमडेगा में दिखा, जहां पर जिला प्रशासन के साथ जब न्यायपालिका ने जुगलबंदी की, तो एक लाख लोगों को उनके हक की राशि मिली। झालसा की ओर से राज्यस्तरीय लीगल इंपावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें एक लाख लोगों में करीब 54 करोड़ रुपये बांटे गए। मार्च माह में सभी विभागों की बची राशि सरेंडर कर दी जाती है, लेकिन न्यायपालिका की तत्परता के कारण उक्त राशि सरेंडर होने से बच गई। जब गरीबों के बुनियादी अधिकारों का हनन हुआ और उन्हें यह भी पता नहीं था कि किस प्रक्रिया के तहत उन्हें अपना हक और न्याय मिल पाएगा। तब विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया। इसके तहत अब अदालतें न्याय के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ और हक दिलाने में तन-मन से जुटी हैं। चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन ने कहा कि आदिवासी अनमोल हैं और उन्हें उनका हक उनकी संस्कृति को सहेजते हुए देना ही हमारा लक्ष्य है। उनका विकास भी उनकी संस्कृति में ही निहित है। जैसे साल के वृक्ष को बाग में संरक्षित नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार बिना जंगल के आदिवासियों का संरक्षण नहीं हो सकता है।

झालसा की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय लीगल इंपावरमेंट कैंप में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत अन्य जज भी रहे मौजूद

बांस का मुकुट व माला पहने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ.रविरंजन • जागरण

भुखमरी से लड़ने के लिए इंपावरमेंट

सिमडेगा तब सुर्खियों में आया था जब इसी जिले की रहने वाली संतोषी मुर्मू की मौत कथित तौर पर भूख से हुई थी। इसके जुड़े मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शायद यही वजह रही कि इस जिले में भुखमरी को समाप्त करने की कोशिश की गई। झालसा की ओर यहां लोगों को प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, छात्रवृत्ति और असंगठित मजदूरों सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। न्यायपालिका की कोशिश है कि इस क्षेत्र में आजीविका का एक चेन बने, ताकि गरीबों को भी सम्मानित तरीके से जीने का अधिकार मिल सके।

सिमडेगा जिलाध्यक्ष के लिए कई हैं दावेदार

जासं, सिमडेगा: भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा के जिलाध्यक्ष पद के लिए रविवार को बैठक नवनिर्मित भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष संजय ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रदेश से पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व मंत्री सह विधायक अमर बाउरी, प्रदेश

172 मरीजों को दी गई मिर्गी की दवा

जासं, सिमडेगा: श्री सर्वेश्वरी समूह की सिमडेगा शाखा में रविवार को सुबह निःशुल्क मिर्गी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। दवा श्री सर्वेश्वरी समूह की प्रधान शाखा पड़ाव, वाराणसी से आए वैद्य

...क्लीफाइड
शिक्षा
FREE STUDY IN GERMANY
* B.Tech
* Bachelor Students
* MBBS
* Master Students
* With Part Time Job
FREE STUDY CONSULTANCY
Add: 91, Co-Operative Colony, Bokaro - 827001
7004801538
9471767463
टूर एण्ड ट्रेवल्स

राज्य स्तरीय विधिक सहायता सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन

भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान : मुख्य न्यायाधीश

लोक अदालत की भी शुरुआत की गयी है, इसके माध्यम से लोगों को सरल तरीके से न्याय मिल रहा है

प्रतिनिधि ▷ सिमडेगा

स्थानीय अलबर्ट एक्का स्टेडियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय विधिक सहायता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय के न्यामूर्ति एससी मिश्रा व न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी उपस्थित थे. कार्यक्रम का उद्घाटन चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया. इससे पूर्व चीफ जस्टिस व अन्य अतिथियों को नृत्य मंडली ने गीत व नृत्य के साथ मंच तक लेकर आये. जहां महिला मंडल द्वारा पारंपरिक तरीके से इनका भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है. संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बातें हैं.हमारा संविधान सभी को सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाता है. साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है. उन्होंने संस्कृति पर चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासी अमूल्य हैं तथा यहां के धरोहर हैं. इन्हें अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं लेकर आती हैं. किंतु उक्त योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है. इसे देखते हुए न्यायिक व्यवस्था ने यह काम अपने कंधे पर लिया है. लोगों को योजनाओं की जानकारी देना एवं लाभ पहुंचाने की जिम्मेवारी ली है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीएलवी तैयार किये गये हैं. उनके माध्यम से लोगों की मदद करने का काम किया जा रहा है. लोक अदालत की भी शुरुआत की गयी है. इसके माध्यम से लोगों को सरल तरीके से न्याय मिल रहा है. स्वागत भाषण प्रधान जिला जज कुमार कमल ने किया. कार्यक्रम का संचालन संतोष अकेला ने किया. कार्यक्रम में एसपी संजीव कुमार, डीडीसी दिनेश कुमार सिंह, एडीजे मधुरेश कुमार वर्मा, सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी, एसडीजेएम आलोक कुमार, जेएम एसएस तिर्की, जेएम मंजीत कुमार साहू, पीपी मदेंद्र सिंह, एपीपी सुभाष प्रसाद,एसी अमरेंद्र कुमार सिन्हा, नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू के अलावा काफी संख्या में लाभुक उपस्थित थे.

कार्यक्रम का उद्घाटन करते चीफ जस्टिस.

कार्यक्रम में उपस्थित लोग.

वंचितों को अधिकार दिलाना बड़ी बात : न्यायमूर्ति

इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एससी मिश्रा ने कहा कि आज का दिन महोत्सव का दिन है. नालसा आपके साथ है.वंचितों को अधिकार दिलाना हमारे लिये बड़ी बात है. इसमें ही कार्यक्रम की सफलता है. इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है. काफी दूर-दूर से लाभुकों को ढूंढ कर लाया गया है तथा उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है जो काफी सराहनीय है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टीम के सदस्य धन्यवाद के पात्र है.

लोगों को अधिकार मिलना चाहिये : न्यायमूर्ति

इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि लोगों को अधिकार मिलना चाहिये. लोगों को अधिकार दिलाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है. कहा कि लोगों को आज जो भी मिल रहा है वह दया नहीं बल्कि उनका अधिकार है. सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिले यह प्रयास किया जा रहा है. इसके लिये सरकार व न्यायालय व्यवस्था मिल कर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हमें संविधान के प्रस्तावना का आदर करना चाहिये. हर जगह संविधान विराजमान है.

सुरक्षा की थी कड़ी व्यवस्था

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायमूर्ति के सिमडेगा आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे. सभी चौक- चौराहों और सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती की गयी थी. दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये थे.

वृद्ध महिला को ट्राइसाइकिल देते चीफ जस्टिस.

गीत प्रस्तुत करती मंडली.

नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते कलाकार

53 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति का वितरण

कार्यक्रम के दौरान लाभुकों के बीच 53 करोड़ रुपये से भी अधिक के परिसंपत्ति का वितरण किया गया. मौके पर उपस्थित चीफ जस्टिस व अन्य अतिथियों ने लाभुकों को विभिन्न प्रकार के योजनाओं का लाभ दिया. इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि योजना, मत्स्य योजना, राशन कार्ड, शौचालय निर्माण, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना सहित अन्य प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया गया. इसके अलावा विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरण, दिव्यांगों के बीच ट्राय साइकिल का वितरण किया गया.

कई विभागों ने लगाया स्टॉल

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया था. स्टॉल के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गयी तथा उन्हें जागरूक किया गया. शिविर में डीआरडीए, वन प्रमंडल, आइटीडीए, कल्याण गुरुकुल, स्वास्थ्य विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, गव्य विकास, जिला भूमि संरक्षण, जिला जनसंपर्क कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता, जिला नियोजनालय, जिला उद्योग केंद्र, जिला आपूर्ति विभाग, जिला जलछाजन प्रकोष्ठ आदि शामिल थे.

चीफ जस्टिस ने रामरेखाधाम में पूजा-अर्चना की

कार्यक्रम से पूर्व सुबह नौ बजे चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व अन्य न्यायमूर्ति रामरेखाधाम गये. जहां उन्होंने भगवान के सामने माथा टेका और पूजा-अर्चना की. साथ ही प्रसाद ग्रहण किया. रामरेखाधाम के महंत उमाकांत जी महाराज ने उनकी अगुवाई की. इस क्रम में रामरेखाधाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी. अलबर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के समापन के बाद चीफ जस्टिस व अन्य न्यायमूर्ति पर्यटन स्थल केलाघाघ डैम भी गये. यहां पर उन्होंने यहां के हसीन वादियों का लुत्फ उठाया. उन्होंने बोटिंग का भी आनंद उठाया. केलाघाघ से लौटने के बाद वे रांची के लिए प्रस्थान कर गये.

सिमडेगा में रविवार को आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। • हिन्दुस्तान

सिमडेगा में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत करतीं युवतियां।

सिमडेगा में सातवें विधिक जागरुकता सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन, चीफ जस्टिस का हुआ भव्य स्वागत

चीफ जस्टिस ने आदिवासी संस्कृति को सराहा

सिमडेगा | जिला प्रतिनिधि

कार्यक्रम में बच्ची से दीप प्रज्ज्वलित करवाकर उद्घाटन करवाते चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और अन्य।

संबोधन

राजनीतिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय जरूरी

चीफ जस्टिस ने जिले की आदिवासी नृत्य और गीत की भूरि भूरि प्रशंसा की।

सभी को समान भाव से देखने की अनुमति देता है न्याय: राजीव शर्मा

पीएलवी न्याय के दूत बनकर समाज सेवा कर रहे हैं

वंचितों के पास खुद चलकर पहुंच रहा है न्यायालय: एससी मिश्रा

अपना हक प्राप्त करना किसी दया का मोहताज नहीं: जस्टिस चौधरी

53 करोड़ की परिसंपत्तियो का किया गया वितरण

गर्भवती महिला की गोद भराई करतीं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी।

सिमडेगा | प्रतिनिधि

रसोइया संयोजिका संघ की बैठक में प्रदर्शन पर चर्चा

बानो | प्रतिनिधि

प्रधान लिपिक के रिटायर होने पर विदाई समारोह

कोलेबिरा | प्रतिनिधि

झलकियां

प्रतिक चिह्न और पौधा देकर किया स्वागत

चीफ जस्टिस को प्रतीक चिह्न और पौधा भेंट करते पीडीजे।

निःशक्त युवक, छोटी बच्ची से करवाया दीप प्रज्ज्वलन

विधिक जागरूकता शिविर का उद्घाटन करते हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस।

जगत की ज्योति हैं क्रूस वीर: फॉ पीटर

पाकरटांड़ | प्रतिनिधि

पाकरटांड़ में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत करतीं युवतियां।

कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रस्तुति देते महिला और पुरुष कलाकार।